



बिहार राज्य आवास बोर्ड की 246वीं बैठक

दिनांक-30.05.2013

4360
31.05.2013

बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

- 1- श्री फूल सिंह, भा0प्र0से0, विकास आयुक्त सह अध्यक्ष,
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना - अध्यक्ष
- 2- श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना - सदस्य
- 3- श्री अनुपम कुमार सुमन, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड,
पटना - सदस्य
- 4- श्री जय सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना का
आंतरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
- 5- श्री परशुराम राम, बि0प्र0से0, सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना - सदस्य
- 6- श्री वंशीधर मिश्र, उप निदेशक, योजना विभाग, बिहार, पटना, विशेष
सचिव योजना के प्रतिनिधि - सदस्य
- 7- श्री ए0 के0 श्रीवास्तव, स्पेशल ऑफिसर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना मुख्य अभियंता के प्रतिनिधि - सदस्य
- 8- श्री कुमार सर्वानन्द, सहायक निदेशक, मुख्य नगर निवेशक, बिहार,
पटना के प्रतिनिधि - सदस्य
- 9- श्री हीरा लाल, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड,
पटना - सदस्य
- 10- श्री थोमस ऑटोनी, क्षेत्रीय प्रमुख, श्री दीपक कुमार झा,
उप महाप्रबंधक (परि0) हडको के विशेष आमंत्रित, बिहार, पटना - सदस्य

(Handwritten signature)

कार्यवाही

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 246वीं बैठक दिनांक-30.05.2013 को 04:00 बजे अपराह्न में विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में प्रारंभ हुई।

बैठक में निम्नलिखित कार्यावलियों पर विमर्शोपरान्त निर्णय लिये गये :-

क्रमांक	विषय	निर्णय
1.	बिहार राज्य आवास बोर्ड की 245वीं बैठक दिनांक-29.11.2012 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	बिहार राज्य आवास बोर्ड की 245वीं बैठक, दिनांक-29.11.2012 को सम्पन्न हुई थी कि कार्यवाही सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	बिहार राज्य आवास बोर्ड की 245वीं बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	बिहार राज्य आवास बोर्ड की 245वीं बैठक, दिनांक-29.11.2012 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
3.	बिहार राज्य आवास बोर्ड की राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं की टेंडर करने के संबंध में।	बोर्ड द्वारा राज्य से स्वीकृत योजनाओं को संशोधित बिड डॉक्यूमेंट के साथ अनुमोदित करते हुए टेंडर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
4.	बिहार राज्य आवास बोर्ड में विभिन्न 141 गैर एंकेल पदों पर सविदा के आधार पर चयन/नियोजन के स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।
5.	राज्य के शहरों में आवासीय कमी को दूर करने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अगले पांच वर्षों में 10,00,000 आवासों के निर्माण की योजना के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	बोर्ड ने निदेश दिया कि प्रस्तावित नीति की पूर्ण विवरणी तथा वित्तीय प्रभाव के मूल्यांकन के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
6.	बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गुप हाउसिंग योजना के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।



7.	बिहार राज्य आवास बोर्ड के लोहियानगर, पटना अवस्थित नेबरहुड सेक्टर के लगभग 3 (तीन) एकड़ भूमि पर पांच सितारा होटल कॉम्प्लेक्स विकसित करने के संबंध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्थगित रखने का निदेश दिया गया।
8.	बिहार राज्य आवास बोर्ड के आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु किटिकल चेन मैनेजमेंट एजेंसी की सेवा बुडको के माध्यम से लेने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव की पूर्ण विवरणी तथा वित्तीय प्रस्ताव के साथ अगले बैठक में रखने का निदेश दिया गया।
9.	बिहार राज्य में आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि कय के स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।
10.	बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवासीय निर्माण के दूसरे चरण में भागलपुर, समस्तीपुर, आरा, छपरा, पूर्णिया में योजना के विकास के संबंध में।	स्वीकृत।
11.	बिहार राज्य आवास बोर्ड की परियोजनाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्लान, आर्किटेक्चरल डिजाईन एण्ड ड्राईंग कन्सल्टेंट को नवीकरण/सूचीबद्ध (Empanelment) करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा आर्किटेक्चरल डिजाईन एंड ड्राईंग कन्सल्टेंट की सेवा का नवीकरण एक वर्ष के लिए करने का निदेश दिया गया।
12.	बिहार राज्य आवास बोर्ड में सूचीबद्ध वास्तुविदों द्वारा बनायी गई योजना संबंधी परामर्शी शुल्क भुगतान के संबंध में।	स्वीकृत।
13.	बिहार राज्य आवास बोर्ड में IL & FS द्वारा बनायी गई योजना संबंधी परामर्शी शुल्क के भुगतान के संबंध में।	बोर्ड द्वारा निदेश दिया गया कि प्रस्ताव पर विभाग का मतव्य प्राप्त कर लिया जाय।

14.	बिहार राज्य आवास बोर्ड में संस्थागत सुधार और परियोजनाओं के विकास हेतु ट्राजेक्शन एडवाइजर की सेवा विस्तार के संबंध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि सेवा विस्तार पूर्व अनुमोदित दर पर ही जारी रहे।
15.	बिहार राज्य आवास बोर्ड में सीधे नियुक्त कर्मियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से लागू ग्रुप ग्रेच्युटि (उपादान) योजना के अन्तर्गत देय उपादान की अधिसीमा 3,50,000/- रू० से बढ़ाकर 10,00,000/- (दस लाख) रू० करने के संबंध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को विभाग के मतव्य हेतु भेजे जाने का निदेश दिया गया।
16.	बिहार राज्य आवास बोर्ड के कर्मियों को ए.सी.पी. भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को विभाग के मतव्य हेतु भेजे जाने का निदेश दिया गया।
17.	बिहार राज्य आवास बोर्ड में कार्यरत चतुर्थवर्गीय समुह 'घ' के नियमित कर्मों को निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति के संबंध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को विभाग के मतव्य हेतु भेजे जाने का निदेश दिया गया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


31.05.2013
प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।


31.5.13
अध्यक्ष

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।